न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
29/2019	दावा 88 RTA	12.04.2019	12.07.2019

सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह जाति काजी निवासी आसलू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 650/240 रकबा 1.3531 हैक्टेयर रोही लाखाउ तहसील चूरू वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति दाव हाजा के साथ प्रस्तुत है। यह कि कृषि भूमि ख.नं. 650/240 रकबा 1.3531 रोही लाखाउ तहसील चूरू जो कि उक्त भूमि पहले केशरनाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी लाखाउ तहसील चूरू के खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि रही है। वादी ने उपरोक्त कृषि भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.09.98 को क्रय की थी तथा विवादित भूमि पर आज भी बाद खरीद करने के पश्चात् वादी बतौर खातेदार काबिज काश्तकार है मगर उक्त विक्रय पत्र में वादी का नाम भूलवश सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह के स्थान पर इकबाल पुत्र रजाकशाह के नाम से दर्ज हो गया जिससे वादी के उपरोक्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वा गिरदावरियां आदि में वादी का नाम सफीमोहम्मद के स्थान पर इकबाल दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त करवाने हेतु वादी द्वारा यह दावा अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादी का वास्तविक नाम सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह ही है मगर लाड़ प्यार से वादी को घर वा परिवार में इकबाल के नाम से बुलाते थे इसलिए सहवन से विक्रय पत्र में इकबाल नाम दर्ज करवा दिया परन्तु वादी के सभी दस्तावेजात् में शुरू से सही नाम सफीमोहम्मद रहा है किन्तु विक्रय पत्र में गलत रूप से इकबाल नाम होने से जमाबन्दी में बलत रूप से इकबाल दर्ज हो गया है। इस सम्बन्ध में वादी ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करवाये हैं, जो निम्न प्रकार से हैं–

परिवार राशन कार्ड की प्रति
भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की प्रतिलिपि सन् 2009 की,
आधार कार्ड की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादी के विद्युत बिलों की प्रतिलिपि
वादी के मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
वादी के जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
वादी के टी.सी. की प्रतिलिपि
वादी के वैध पासपोर्ट कापी की प्रतिलिपि
वादी के भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि
वादी के बैंक अकाउण्ट की प्रतिलिपि

आदि तमाम दस्तावेज की प्रतिलिपि शामिल पेश की जा रही है। इस प्रकार से तमाम रिकार्ड में वादी का नाम सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह दर्ज इकबाल नाम का कोई अन्य रजाकशाह का वारिस नहीं है। जिसे दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि वादी को के.सी.सी. बनवाने व भूमि हस्तान्तरण करने की सूरत में पहचान दस्तावेज पेश करने होते हैं मगर राजस्व रिकार्ड में गलत नाम से दर्ज होने के कारण खातेदारी में दर्ज नाम का कोई दस्तावेज न होने के कारण कानूनी कठिनाईयां पैदा हो गई हैं तथा रिकार्ड में नाम सफीमोहम्मद किये जाने से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा।

यह कि वादी ने प्रतिवादिनी को कहा व कहलवाया कि वादी का नाम दुरूस्त करवा देवें मगर प्रतिवादी टालमटोल करते रहे व आखिर दिनांक 10.04.19 को प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए लिहाजा यही तारीख विनाय मुशास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादी को भूमि मजकूर का नियमानुसार खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त है। यह कि दावा डिग्री होने की सूरत में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी हैं इसलिए राजस्थान सरकार को दावा में तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वालाल कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 के नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि निवास स्थान फैरीकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बडक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के नीचे लिखे अनुसार डिकी फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 650/240 रकबा 1.3531 हैक्टेयर रोही लाखउ तहसील चूरू में वादी का नाम खातेदारी में इकबाल की जगह सफीमोहम्मद घोषित किया जावे एवं इसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे, वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाबदावा हेतु समय चाहा जो दिया गया। पैरोकार राज की ओर से जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में अंकित किया कि मद सं. 1 अर्जीदावा राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकित किये जाने से आपत्ति नहीं है। मद सं. 2 अर्जीदावा बाबत उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि विक्रय पत्र दिनांक 22.09.1998 के अनुसार पूर्व में खातेदार केशरनाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी की खातेदारी में होना सही लिखा गया है शेष तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं हैं। मद सं. 3 अर्जीदावा के तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं हैं शेष तथ्य जो दस्तावेज इस मद में अंकित किये हैं, सभी दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा जारी वा सरकारी दस्तावेज होने से आपत्ति नहीं है। मद सं. 4 का सम्बन्ध मुझ प्रतिवादी से नहीं है। जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 5 व 6 स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है। मद सं. 7 अर्जीदावा कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अन्तिम मद बिना नम्बरी मय अनुतोष स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार की ओर से उपरोक्त प्रकार से जवाबदावा प्रस्तुत है।

तहसीलदार, चूरू की ओर पेश जवाबदावा में दावा का प्रतिवाद नहीं किया जाने से तनकियात् कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी सफीमोहम्मद, रजाकशाह, केशरनाथ व जाफर ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किया जाकर बयान लेखबद्ध किये गये। पैरोकार राज द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में रखी गई। पैरोकार राज के साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर दावा पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि में खरीद करने के समय वादी सफीमोहम्मद का घर परिवार में प्यार से बोला जाने वाला नाम इकबाल लिखवा दिया गया जिससे राजस्व रिकार्ड में तभी से उसका नाम इकबाल दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में उसका वास्तविक व सही नाम सफीमोहम्मद दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में वादी के भिन्न भिन्न नाम अंकित होने से वादी को काफी असुविधा व कानूनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपना गलत दर्ज नाम इकबाल के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह दावा पेश किया है। पैरोकार राज तहसीलदार, चूरू की ओर से दावा के विरोध में कोई आपत्ति अंकित नहीं की गई है जिससे दावा स्वीकार किया जाना उचित नहीं हो। वादी के पिता रजाकशाह के वादी के अलावा अन्य कोई पुत्र सन्तान नहीं है। हमने साक्ष्यवादी में पेश गवाहान के बयान करवाये हैं जिनमें विक्रय पत्र करवाते समय मौजूद वादगत कृषि भूमि के पूर्व खातेदार केशरनाथ, वादी के पिता रजाकशाह, विक्रय पत्र के गवाह जाफर एवं वादी स्वयं शामिल है। उक्त समस्त गवाहों के बयानों से वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज प्रमाणित होते हैं तथा दावा वादी के पक्ष में भली भांति साबित होता है। अतः दावा स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे। पैरोकार राज ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा पेश दावा का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना है जिससे राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। अतः नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 650/240 रकबा 1.3531 हैक्टेयर रोही लाखाउ तहसील चूरू में वर्तमान में इकबाल पुत्र रजाक खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2ए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.09.98 में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 650/240 रकबा 1.3531 हैक्टेयर रोही लाखाउ के तत्कालीन खातेदार केशरनाथ पुत्र मालनाथ द्वारा उक्त कृषि भूमि इकबाल पुत्र रजाक को विक्रय किया जाना अंकित है। उक्त विक्रय पत्र में विक्रेता केशरनाथ के साथ दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित हैं जिनमें से एक गवाह जाफर ने वादी के पक्ष में बयान दर्ज करवाये हैं। वादी द्वारा पेश अन्य समस्त प्रदर्श–3 से प्रदर्श–13 में वादी का नाम सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह दर्ज है। साक्ष्यवादी में पेश समस्त गवाहान ने वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम इकबाल के बजाय सफीमोहम्मद होना बताते हुए रजाकशाह के अन्य कोई इकबाल नाम का पुत्र नहीं होना बताया है। साथ ही यह भी बयान किया है कि वादी के पिता रजाकशाह के एकमात्र पुत्र सफीमोहम्मद ही है। ग्राम पंचायत लाखाउ द्वारा जारी रजाकशाह के कुर्सीनामा प्रदर्श–13 से यह तथ्य साबित भी होता है कि वादी के पिता रजाकशाह के एकमात्र पुत्र सन्तान सफीमोहम्मद ही है एवं अन्य कोई पुत्र सन्तान नहीं है। इस प्रकार पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र करवाते समय वादी सफीमोहम्मद का घर में प्यार से बोला जाने वाला नाम इकबाल वादी के पिता द्वारा दर्ज करवा दिया गया जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम सफीमोहम्मद है। राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम अंकित होने से वादी को काफी कठिनाईयों एवं कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने उक्त गलत चले आ रहे नाम को दुरूस्त करवाने हेतु यह दावा पेश किया है। पैरोकार राज तहसीलदार, चूरू द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है कि वादी के दावा को स्वीकार किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा 650/240 रकबा 1.3531 हैक्टेयर रोही लाखाउ तहसील चूरू में अंकित के इकबाल पुत्र रजाकशाह के स्थान पर को सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह जाति काजी निवासी आसलू तहसील व जिला चूरू
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 29/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा 650/240 रकबा 1.3531 हैक्टेयर रोही लाखाउ तहसील चूरू में अंकित के इकबाल पुत्र रजाकशाह के स्थान पर को सफीमोहम्मद पुत्र रजाकशाह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12 माह जुलाई सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू